TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT HARYANA, PANCHKULA

PUBLIC NOTICE

Regarding non-receipt of Post Matric Scholarship for the academic session 2020-21

The students of Scheduled Caste and Backward Classes, who had applied for Post Matric Scholarship on Har-Chhatravratti Portal for the academic session 2020-21, the scholarship applications of some of them were sent back to the student and institute level through Har-Chhatravratti Portal due to some reasons (deficiency in documents/ non-seeding of Aadhaar with bank account etc.), which are still pending and such students have been informed time to time to remove the deficiency in the scholarship application. Those students are hereby informed that a last chance to remove the deficiency in their documents is hereby granted up to 30.05.2025 by the Department of Technical Education, Haryana. Therefore, all such students should contact their institute, remove the deficiency in their documents before 30.05.2025 and get their application form

verified from their Institute (Level-1) through Har-Chhatravratti portal and send it to the concerned Processing Center (Level-2).

It is also informed that after 30.05.2025, all the Post Matric Scholarship applications for the academic session 2020-21 pending at the student and institute level will be automatically rejected by the Har-Chhatravratti portal and no more communications/ requests for more chance/opportunity will he entertained by the department Note:- This information is only for students of Scheduled Caste and Backward Classes (Engineering/Pharmacy/Architecture and all other technical courses etc.), who were studied in the institutions covered under the Technical Education.

Director General
Technical Education Department,
Haryana, Panchkula

No. 34114/HRY

तकनीकी शिक्षा विभाग, हरियाणा, पंचकुला

सार्वजनिक सूचना

शैक्षणिक सत्र 2020-21 की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति प्राप्त नहीं होने के संबन्ध में

अनुसूचित जाति व पिछड़े वर्ग के जिन छात्रों ने शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति के लिए हर-छात्रवृति (Har-Chhatravratti) पोर्टल पर आवेदन किया था, उनमें से कुछ छात्रों के छात्रवृति आवेदन कुछ कारणों (दस्तावेजों की कमी या बैंक खाता की आधार सीडिंग न होना इत्यादि) की वजह से हर छात्रवृति (Har-Chhatravratti) पोर्टल के माध्यम से छात्र व संस्थान के लेवल पर वापिस भेज दिए गए थे, जोिक अभी तक लम्बित है। इन छात्रों को समय-समय पर दस्तावेजों की कमी को दूर करने हेतू सूचित किया जाता रहा है। इन छात्रों को सूचित किया जाता है कि उनको अपने दस्तावेजों में कमी को दूर करने के लिए तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा एक अंतिम अवसर 30.05. 2025 तक प्रदान किया जा रहा है। अतः ऐसे सभी छात्र अपने संस्थान से सम्पर्क करके अपने दस्तावेजों की कमी को 30.05.2025 से पहले दूर कर लें तथा अपने एपलीकेशन फार्म को अपने संस्थान से हर-छात्रवृति (Har-Chhatravratti) पोर्टल के माध्यम से वेरीफाई करवाने उपरान्त सम्बंधित प्रोसेसिंग सेंटर को भेजें।

यह भी सूचित किया जाता है कि 30.05.2025 के बाद शैक्षणिक सत्र 2020-21 के पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति के वे सभी आवेदन जो छात्र व संस्थान के लेवल पर लिम्बत रह जाएंगे, उनको हर-छात्रवृति (Har-Chhatravratti). पोर्टल द्वारा स्वतः ही रद् कर दिया जाएगा तथा इस प्रकार के किसी भी पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति के आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। नोट:- यह सूचना तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत आने वाले संस्थानों में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति व पिछडे वर्ग के छात्रों (इंजीनियरिंग / फॉर्मेसी / आर्किटेक्कर व अन्य सभी तकनीकी कोर्स आदि) के लिए हैं।

कृतेः महानिदेशक, तकनीकी शिक्षा विभाग, हरियाणा, पंचकुला

PRDH-1115/11/399/2026/34114/67/6